राजस्व आवेदन संख्या 91/2024
उनवान गोकलाराम वगैरा बनाम कुम्भाराम वगैरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 91/2024

अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गोकलाराम पुत्र काना 2. जगराम पुत्र काना जाति विश्नोई, निवासी सेड़वा, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. कुंभाराम पुत्र धनाराम 2. भारथाराम पुत्र धनाराम 3. भगवानाराम पुत्र विरधाराम 4. भंवरलाल पुत्र विरधाराम 5. रमेशकुमार पुत्र विरधाराम 6. दयाराम पुत्र कुशलाराम 7. हरीराम पुत्र कुशलाराम 8. केशराराम पुत्र कुशलाराम 9. पेम्पी पत्नी कुशलाराम 10. सदराम पुत्र काना 11.भाखरा पुत्र काना जाति विश्नोई, निवासी सेड़वा, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 12. जोधाराम पुत्र कुशलाराम जाति विश्नोई, निवासी सेड़वा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 13. कालुराम पुत्र उदाराम 14. नवलाराम पुत्र वगताराम 15. बाबुलाल पुत्र नरसींगाराम 16. प्रकाश पुत्र अर्जुनराम 17. वालाराम पुत्र अर्जुनराम 18. नेनूदेवी पत्नी अर्जुनराम 19. माधाराम पुत्र रायचंद 20. शेंभुराम पुत्र पोकरराम जाति विश्नोई, निवासी रोहिला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 21. तहसीलदार सेड़वा।

उपस्थित :प्रार्थीगण वकील – श्री केशरीमल

विप्रार्थी संख्या 01 से 05 व 13 से 15 के वकील – श्री शाकर खान समेजा

दिनांक :– 25.02.2025

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण गोकलाराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि "प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 01 से 20 के संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा में खसरा संख्या 1075/371 रकबा 9.7691 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 692/371 रकबा 9.7691 हैक्टेयर जुमले रकबा 19.5382 हैक्टेयर आए हुए है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 01 से 20 के खेत मौजा सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा मूल खसरा संख्या 692/371 रकबा 123.04 बीघा में से 2.10 बीघा भूमि माननीय सहायक कलक्टर एवं उपखंड

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:53:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

अधिकारी चौहटन के उनवान तहसीलदार सेड़वा बनाम माधाराम वगैरा प्रकरण संख्या 129/2017 आदेश दिनांक 31.03.2017 के अनुसार मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया। खसरा संख्या 1074/371 का रास्ता, रास्ते संबंधी समस्याओं का निवारण अभियान 2016 के तहत राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 तत्पश्चात माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी चौहटन द्वारा तहसीलदार सेड़वा (भु.अ.) सेड़वा से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 31.07.2017 को भूमि खातेदारों के नाम रखते हुए किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं रास्ते की तरमीम करने का आदेश पारित किया गया था। माननीय न्यायालय आदेश की पालना में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरण 1838 खोला गया, उसके बाद में रास्ते की भूमि खसरा संख्या 1074/371 रकबा 2.10 बीघा को राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी। इस प्रकार नामान्तरकरण के बाद प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 01 से 20 के नया खसरा संख्या 1075/371 रकबा 60.07 बीघा का निर्मित हुआ एवं शेष मूल खसरा संख्या 692/371 रकबा 60.07 बीघा रहा। माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी चौहटन के आदेश की पालना में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण 1838 खोला गया लेकिन नामा0 पुश्त पर जो रास्ते की भूमि तरमीम का अंकन किया गया है वो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार नहीं होकर भिन्न स्थान पर की गई है, जो कि गलत है। माननीय न्यायालय के आदेश में सलंग्न नक्शे अनुसार मौके पर रास्ता खुला है। रास्ते की भूमि खसरा संख्या 1074/371 रकबा 2.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता की तरमीम गलत हो जाने से नाप सही नहीं होने के कारण पक्षकारों में आपसी विवाद होता रहता है। वर्तमान में की गई तरमीम गलत होने से खारीज कर पुनः मौके पर माननीय न्यायालय के आदेश में सलग्न नक्शे अनुसार तरमीम दुरुस्त की जावे जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। आवेदन के साथ संलग्न माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी चौहटन के उनवान तहसीलदार सेड़वा बनाम माधाराम वगैरा प्रकरण संख्या 129/2017 आदेश दिनांक 31.03.2017 के अनुसार रास्ते की [illegible] तरमीम करनी है जिस हेतु आवेदन वास्ते तरमीम दुरुस्ती का [illegible] आदेश को आवेदन का

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:53:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

अभिन्न अंग समझा जावे। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 01 से 20 के संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा में खसरा संख्या 1075/371 रकबा 9.7691 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 692/371 रकबा 9.7691 हैक्टेयर जुमले रकबा 19.5382 हैक्टेयर में से खसरा संख्या 1074/371 रकबा 0.4047 हैक्टेयर (2.10 बीघा) किस्म गैर मुमकिन रास्ता की पूर्व में की गई गलत तरमीम को खारिज कर माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी चौहटन के प्रकरण संख्या 129/2017 आदेश दिनांक 31.03.2017 में संलग्न नक्शे के अनुसार दुरुस्त करवाने एवं तहसील ऑनलाईन के समय भूलवश रास्ते की भूमि खसरा संख्या 1074/371 रकबा 2.10 बीघा को राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी उसे पुनः खातेदारों के नाम से दर्ज करवाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किए गए। विप्रार्थीगण के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए जिससे शामिल पत्रावली किया जाता है। विप्रार्थी संख्या 01 से 05 व 13 से 15 के अधिवक्ता शाकर खान समेजा ने वकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा शेष विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इस संबंध में न्यायालय के पत्रांक/रीडर/2024/2201 दिनांक 24.06.2024 व पत्रांक रीडर/2025/16 दिनांक 17.01.2025 द्वारा प्रार्थीगणों के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार सेड़वा को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया, जो कि उनके कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2024/2465 दिनांक 26.07.2024 व पत्रांकः भू.अ./2025/278 दिनांक 03.02.2025 द्वारा प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार सेड़वा की मौका रिपोर्ट के अनुसार उनवान प्रार्थीगण गोकलाराम वगैरा बनाम कुंभाराम वगैरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर.एल.आर. एक्ट की धारा 131, 136 के तहत मौका जांच हेतु हल्का पटवारी सेड़वा व गिरदावर सेड़वा मौके पर पहुंचकर रूबरू मौतबरान् मौका निरीक्षण कर रिकॉर्ड से मिलान किया गया। तहसीलदार से प्राप्त मौका प्रतिवेदन अनुसार मौके पर पाया कि माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी चौहटन के प्रकरण संख्या 129/2017 अन्तर्गत धारा 130, 131, 1[illegible] आर.एल.आर. एक्ट में पारित निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:53:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

दिनांक 31.07.2017 के संलग्न मौका फर्द रिपोर्ट मय ट्रेस नक्शा अनुसार नामा0 सं0 1838 स्वी0 दिनांक 04.01.2018 के जरिये राजस्व रिकार्ड में खसरा संख्या 1074/371 किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज हुआ था, लेकिन मौका फर्द में सलंग्न नक्शे व मौके पर चल रहे रास्ते के अनुसार तरमीम का अंकन नहीं हुआ, जबकि भुलवश रास्ते की तरमीम सीधी दर्ज हो गई, मौके पर व निर्णय में सलंग्न नक्शा अनुसार तरमीम का अंकन नहीं हुआ। नामा0 वर्तमान तरमीम को संलग्न नक्शे में परिशिष्ट ''अ'' से दर्शाया गया तथा वर्तमान में मौके पर चल रहे रास्ते व प्रस्तावित तरमीम को परिशिष्ट 'ब' के रूप में दर्शाया गया है। मौके पर चल रहे रास्ते व निर्णय दिनांक 31.03.2017 अनुसार तरमीम दुरुस्ती किया जाना उचित है। मौका फर्द रूबरू मौतबरान् मौके पर तैयार कर पढकर सुनाई गई सही होना स्वीकार कर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान किये।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 से 05 व 13 से 18 के अधिवक्ता ने बहस की। उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 91/2024 उनवान गोकलाराम वगैरा बनाम कुम्भाराम वगैरा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आंशिक स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन दिनांक 26.07.2024 व 03.02.2025 के अनुसार मौजा सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा के खसरा संख्या **खेत खसरा संख्या 1075/371 रकबा 9.7691 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 692/371 रकबा 9.7691 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम जुमले रकबा 19.5382 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 1074/371 रकबा 0.4047 हैक्टेयर (2.10 बीघा) किस्म गै.मु.रास्ता भूमि की तरमीम को मौका फर्द दिनांक 16.07.2024 के संलग्न परिशिष्ट "ब" में बरंग [illegible] गया है।** नजरी नक्शे में परिशिष्ट ''अ'' वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार [illegible] मौके पर चल रहे रास्ते को

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:53:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

राजस्व आवेदन संख्या 91/2024
उनवान गोकलाराम वगैरा बनाम कुम्भाराम वगैरा

प्रस्तावित तरमीम शुद्धि के रूप में दर्शाया गया है। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 26.07.2024 व 03.02.2025 के अनुसार परिशिष्ट "ब" के अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है। **तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ./2024/2465 दिनांक 26.07.2024 व भू.अ./2025/278 दिनांक 03.02.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 16.07.2024, परिशिष्ट 'ब', खसरा नक्शा व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

25.02.2025

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:53:16 IST
Reason: SelfAttested

... ख. नं. 1074/371 की तरमीम शुद्ध की जानी उचित है

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 278 दिनांकः– 03-02-2025

प्रेषितः–

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला– बाड़मेर)

विषयः– राजस्व वाद संख्या 91 / 2024 अनवान गोकलाराम वगैरह बनाम कुम्भाराम वगैरह अन्तर्गत RLR धारा 131,136 में तरमीम दुरस्ती रिपोर्ट भेजने बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा राजस्व वाद संख्या 91 / 2024 अनवान गोकलाराम वगैरह बनाम कुम्भाराम वगैरह में मौजा सेड़वा के खसरा 1075 / 371, 692 / 371, 1074 / 371 की अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR ACT में तरमीम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट आप द्वारा चाही थी। जिसकी भू.अ. निरीक्षक सेड़वा द्वारा दिनांक 16.07.2024 को मौका जांचकर वादी प्रतिवादी व पड़ोसियों मौतबरानों सहखातेदारों के रूबरू जांच रिपोर्ट तैयार श्रीमान को प्रषित की गई थी उक्त रिपोर्ट में खसरा 1074 / 371 के स्थान पर 1674 / 371 दर्ज हो गया जिसकी संशोधित रिपोर्ट दिनांक 31.01.2025 को पेश गई। जो इस पत्र के सलंग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

सलंगनः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा

Ex - Count

18/02/2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:53:16 IST
Reason: SelfAttested

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार साहब
सेड़वा

LR
31.1.25

विषय:- राजस्व आवेदन सं. 91/2024 अनवान गोकलाराम वगैरा बनाम कुंभाराम वगैरा अन्तर्गत 131, 136 RLR Act के तहत तरमीम दुरस्ती हेतु पुनः संशोधित तथ्यात्मक रिपोर्ट बाबत।

प्रसंग:- कार्यालय उपखण्ड अधिकारी महोदय सेड़वा के क्रमांक/रीडर/2025/16 दिनांक 17.01.2025 व कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा के क्रमांक/भू.अ./118 दिनांक 21.01.2025 के सन्दर्भ में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक सन्दर्भ में निवेदन है कि पटवार सेड़वा के राजस्व ग्राम सेड़वा के ख.नं. 1075/371 रकबा 9.7651 हैक्टेयर किस्म बा.खी. व ख.नं. 692/371 रकबा 9.7651 हैक्टेयर किस्म बा.खी. में से ख.नं. 1074/371 रकबा 0.4047 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता की तरमीम ड्राईट की मौका रिपोर्ट माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के क्रमांक/रीडर/2024/2231 दिनांक 24.06.2024 की पालना में दिनांक 16.07.2024 को रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमे ख.नं. 1074/371 के स्थान पर ख.नं. 1674/371 दर्ज हो गया जो गलत था। लेकिन लट्ठा ट्रेस कटा-फटा होने के कारण गलती से ख.नं. 1674/371 दर्ज हुआ जो गलत है राजस्व ग्राम सेड़वा में [illegible] बना नहीं है इस कारण दिनांक 16.07.2024 की रिपोर्ट में [illegible] के स्थान पर ख.नं. 1074/371 पढ़ा जावे। ख.नं. 1074/371 की तरमीम ड्राईट की जानी उचित है। जांच रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

Ex-Court
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

मगा राम चौधरी
31/1/2025
भू-अभिलेख निरीक्षक (भू.अ.) सेड़वा

31/01/25
ILR सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:53:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2024 / 2465 दिनांकः– 26-07-2024

प्रेषितः–

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला– बाड़मेर)

विषयः– राजस्व वाद संख्या 91 / 2024 अनवान गौकलाराम वगैरह बनाम कुम्भाराम वगैरह अन्तर्गत RLR धारा 131,136 में तरमीम दुरस्ती रिपोर्ट भेजने बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा राजस्व वाद संख्या 91 / 2024 अनवान गौकलाराम वगैरह बनाम कुम्भाराम वगैरह में मौजा सेड़वा के खसरा नंबर 1075 / 371 रकबा 9.7691 हेक्टर, खसरा नंबर 692 / 371 रकबा 9.7691 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1074 / 371 रकबा 0.4047 हेक्टर में अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR ACT में तरमीम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट आप द्वारा चाही थी। जिसकी भू. अभिलेख निरीक्षक सेड़वा द्वारा दिनांक 16.07.2024 को मौका जांचकर वादी प्रतिवादी व पड़ोसियों मौतबरानों सहखातेदारों के रूबरू जांच रिपोर्ट तैयार की गई। जो इस पत्र के सलंग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

सलंगनः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा

Court

26/07/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:53:16 IST
Reason: SelfAttested

मौका-फर्द

आज दिनांक 16.07.2024 को श्रीमान तहसीलदार (भू०अ०) सेड़वा के आदेश क्रमांक/2024/भू०अ०/1953-54 दिनांक 27.06.2024 की पालना व कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला-बाड़मेर के क्रमांक/रीडर/2024/2231 दिनांक 24.06.2024 व माननीय न्यायालय के राजस्व अपील सं. 91/2024 उनवान गोकलाराम वगैरा बनाम कुंभाराम वगैरा के RLR Act की धारा 131, 136 के तहत मौका जाँच हेतु हमराह हल्का पटवारी सेड़वा मौके पर पहुँचा रूबरू मोतबरान मौका देखा गया एवं रिकार्ड से मिलान किया गया तो पाया कि माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन के प्रकरण सं. 129/17 अनुसार अन्तर्गत धारा 130, 131, 136 RLR Act में निर्णय दिनांक 31.07.2017 में संलग्न मौका फर्द रिपोर्ट मय नक्शा अनुसार नामा सं. 1838 की दिनांक 04.01.2018 के जरिये राजस्व रिकार्ड में ख. 1674/371 गै.मु. रास्ता दर्ज हुआ था लेकिन मौका फर्द में संलग्न नक्शे व मौके पर चल रहे रास्ते के अनुसार तरमीम का अंकन नहीं हुआ जबकि भूलवश रास्ते की तरमीम सीधी दर्ज हो गई जबकि मौके पर व निर्णय में संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम का अंकन नहीं हुआ।

नामा० वर्तमान तरमीम को संलग्न नक्शे में परिशिष्ट "अ" से दर्शाया गया तथा वर्तमान में मौके पर चल रहे रास्ते व प्रस्तावित तरमीम को परिशिष्ट "ब" के रूप में दर्शाया गया है।

Ex-Court

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

मौके पर चल रहे रास्ते व न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.03.2017 के अनुसार तरमीम दुरस्ती किया जाना उचित है।

मौका फर्द रूबरू मोतबरान मौके पर तैयार कर पढ़कर सुनायी गई सही होना स्वीकार कर हस्ताक्षर व अंगूठा निशान किये।

16/7/2024 प० सेड़वा

16/07/24 ILR सेड़वा

C-5

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:53:16 IST
Reason: SelfAttested

26/07/24

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

नक्शा आंशिक
मौजा - सेड़वा
तह. सेड़वा

परिशिष्ट 'अ' (वर्तमान तरमीम)
रास्ते के नामान्तरण अनुसार

Ex-Court

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

परिशिष्ट 'ब' (प्रस्तावित तरमीम)
मौ.मु. रास्ता के मौके के अनुसार

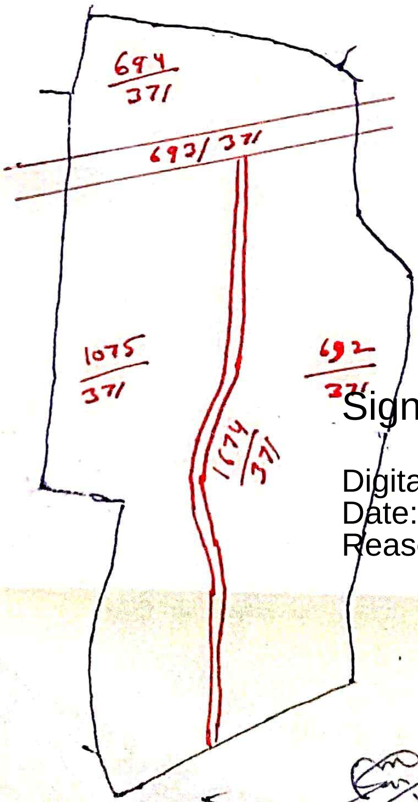

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:53:16 IST
Reason: SelfAttested

C.S.